न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः 267/19 (आरसीएमएस नं. 2019/00182)

01. विजय कुमार भातरा पुत्र स्व. श्यामसुन्दर भातरा, जाति ब्राहाम्ण निवासी ब्राह्मपुरी कस्बा चौंमू, जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

01. द्वारिका प्रसाद शर्मा, पुत्र स्व. श्री दामोदर प्रसाद शर्मा, जाति बागड़ा ब्राहाम्ण निवासी ग्राम दौलतपुरा (कोटडा) तहसील आमेर जिला जयपुर।

——मुख्य रेस्पोडेन्ट्स

2. कमल कुमार भातरा पुत्र स्व. श्यामसुन्दर भातरा,
3. सम्पति पुत्री स्व. श्यामसुन्दर भातरा,
4. स्नेहलता पुत्री स्व. श्यामसुन्दर भातरा,
5. अंशु पुत्री स्व. श्यामसुन्दर भातरा, समस्त जाति ब्राहाम्ण निवासी ब्रह्मपुरी, कस्बा चौमू, जिला जयपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसील चौंमू जिला जयपुर।

निर्णय

दिनांकः 18.03.2020

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर के आदेश दिनांक 15.10.2019 (प्रकरण संख्या 9/2019) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि ग्राम चौमू में स्थित खसरा नम्बर 3849, 3851, 3852 कुल किता 3 कुल रकबा 0.21 हैक्टयर की खातेदारी श्यामसुन्दर भातरा के नाम दर्ज व अंकित थी जिसकी मृत्यु के उपरान्त हाल अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया, साथी ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण हेतु प्रस्तुत किया गया, उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वसीयत अनरजिस्टर्ड होने के आधार पर प्रकरण तहसीलदार चौमू द्वारा प्रकरण भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) में दर्ज किया गया एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा जिला कलक्टर जयपुर द्वारा प्रकरण तहसीलदार जयपुर को मुन्तकिल किये जाने के पश्चात् तहसीलदार जयपुर द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किये एवं अपीलान्ट को साक्ष्य, सबूत इत्यादि प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना व जिरह आदि का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध, ोर कानूनी, राजस्व अभिलेखों के विपरित होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि विवादित भूमि श्यामसुन्दर की परिवारिक सम्पत्ति है जिसमें उनके परिवार के हर सदस्यों का हक व अधिकार निहित है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1, श्यामसुन्दर के परिवार का सदस्य नही है, ना ही उनका

P.T.O.

रिश्तेदार है और नातेदार भी नही है, उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक बिन्दूओं को नजरअन्दाज कर जो अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2019 पारित किया गया है, वह विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर भी गौर नही किया कि जहॉ पक्षकारों में वसीयत आदि का विवाद हो वहॉ कानूनन केवल विरासत के आधार पर ही नामान्तरकरण दर्ज किया जाना चाहिये क्योंकि हक व अधिकार के प्रश्न नामान्तरकरण की फिस्कल प्रोसिडिन्ग में तय नही किये जा सकते, उसको तो नियमित वाद के द्वारा ही तय किये जा सकते है, उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक बिन्दूओं पर गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2019 पारित किया गया है, जो विधि विधान एवं न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दू पर भी गौर नही किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जो तथाकथित वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण चाह रहा है वो वसीयत रजिस्टर्ड नही है एवं अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर बिना सक्षम न्यायालय में चाराजोही किये किसी को भी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते, जो कि ऐसा व्यक्ति हो जो परिवारिक सदस्य ना हो एवं उसको वसीयतकर्ता से सम्बन्ध एवं वसीयत करने का उद्देश्य रो स्पष्ट ना हो यह सब तथ्य नियमित वाद में ही तय किये जा सकते थे उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त विधिक बिन्दूओं को नजरअन्दाज कर जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि तहसीलदार जयपुर की कार्यवाही पूर्णतः पक्षपात एवं अपीलान्ट को न्याय नही देने की थी जो उसके आदेशिका से स्पष्ट होती है, पत्रावली दिनांक 17.09.2019 को न्यायालय में दर्ज रजिस्टर की गई एवं दिनांक 15.10.2019 को अन्तिम फैसला कर दिया गया जबकि पत्रावली पर जो प्रार्थना पत्र मौजूद थे, विधि के अनुसार उनका निस्तारण पूर्व में किया जाना था परन्तु उन प्रार्थना पत्रों का बिना निस्तारण किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2019 पारित किया गया है जो विधि विधान एवं कानूनी प्रक्रिया के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह विधिक तथ्य उल्लेखित था कि अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर किसी भी प्रकार के कोई अधिकार प्राप्त नही होते है तो उन्हे सक्षम सिविल न्यायालय में अपनी तथाकथित वसीयत को प्रमाणित एवं प्रोबेट करवाते हुये अपने अधिकारों हेतु वाद प्रस्तुत करें, इसके सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय व न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेक न्यायिक निर्णयों में यह मत व्यक्त किया है कि नियमित वाद में ही वसीयत के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा सकती है, उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा पारित न्यायिक विनिश्चियों का उल्लंघन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2019 को अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

माननीय आयुक्त
जयपुर

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील मीमों में उल्लेखित तथ्य जिस प्रकार से वर्णित किये गये है, वह गलत है क्योंकि वसीयत किसी भी सक्षम व्यक्ति द्वारा दूसरे सक्षम व्यक्ति को कानूनन की जा सकती है जिसका भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार पंजीकृत होना आवश्यक नही है, यह वसीयतकर्ता की अच्छा पर निर्भर करता है जैसा कि भारतीय रस्ट्रिीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17 (ई) में प्रावधान किया गया है, तथा वसीयत पर कोई स्टाम्प शुल्क भी देय नही है तथा उसके मात्र अपंजीकृत होने के आधार पर उसकी सत्यता पर कोई सन्देह उत्पन्न नही करता है, प्रश्नगत प्रकरण मे स्वयं अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत वसीयत के सम्बन्ध में न्यायालय तहसीलदार चौंमू के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर प्रश्नगत वसीयत को सही रूप से निष्पादित होना स्वीकार करते हुये सशपथ बयान दिये है तथा इसके अतिरिक्त वसीयतकर्ता स्व. श्यामसुन्दर भातरा के समस्त वारिसान द्वारा एक सहमति पत्र दिनांकित 25.02.2012 भी एक सौ रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित कर प्रश्नगत वसीयत सही व विधि अनुसार निष्पादित किया जाना स्वीकार किया है, तथा प्रश्नगत वसीयत के समक्ष गवाहान् राजकुमार शर्मा एवं विजेन्द्र गरेड द्वारा भी प्रश्नगत वसीयत उनके सामने मृतक वसीयतकर्ता द्वारा निष्पादित किये जाने के बयान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिये गये है तथा पटवारी हल्का ने मौके की रिपोर्ट दी है जिन समस्त तथ्यों से यह पूर्णतया साबित है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.10.2019 पारित किया गया है वह विधि अनुसार सही है। उन्होने आगे कथन किया है कि कानूनन जो तथ्य किसी पक्षकार द्वारा किसी न्यायिक कार्यवाही में स्वीकार कर लिये जावें तो उन तथ्यों को साबित करने की आकांक्षा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के अनुसार नही रखनी चाहिये, वह पक्षकार अपने कथनों से विबंधित है, हस्तगत प्रकरण समरी प्रोसीडिंग है जिसमें पक्षकारों के बयान तक हुये है, उन बयानों को पलटने हेतु कानून में कोई जगह नही है, प्रकरण सन् 2012 से विचारण में होने एवं बार–बार अपीलान्ट द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करने से प्रकरण में जिला कलक्टर जयपुर के न्यायालय में मुन्तकिली प्रार्थना पत्र की अंतिम बहस में प्रकरण को स्वयं अपीलान्ट की इच्छा से जयपुर तहसीलदार जयपुर के न्यायालय में मुन्तकिल करवाये जाने पर तहसीलदार जयपुर द्वारा प्रकरण में विधिक प्रक्रिया अपनाते हुऐ एवं प्रकरण में अंतिम बहस सुनी जाकर प्रकरण में विधि के सुस्थानिपत नियमों के अनुसार ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 15.10.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की अवैंधानिकता नही है तथा अपील अपीलान्ट सारहीन व बलहीन होने से निरस्तनीय है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि प्रकरण में निर्णय दिनांक 15.10.2019 की पालना हो चुकी है तथा रेस्पोडेन्ट नामान्तरकरण दिनांक 05.11.2019 में दर्ज भूमि का रिकार्डेड काबिज खातेदार है तथा वसीयत को स्वयं अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय के समक्ष सही व विधि अनुसार तस्दीक किये जाने के बयान दिये है तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिये गये स्वयं के बयानो एवं गवाहों से जिरह नही कर सहमति रही है तथा कानूनन एक बार दी गई स्वतंत्र सहमति बयान को रिवॉक नही किया जा सकता है, ना ही कानून में ऐसा कोई प्रावधान है, अपीलान्ट के समस्त तथ्य ऑफ्टर थोट। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली एवं अधिवक्ता उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रथमतया यह जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 कमल कुमार भातरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.04.13 को प्रस्तुत एतराज/जवाब प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजी को स्व. श्री श्यामसुन्दर भातरा की स्वअर्जित भूमि होना कथन किया है तथा कानूनन कोई भी सक्षम व्यक्ति अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की वसीयत किसी भी सक्षम व्यक्ति को कर सकता है, द्वितीय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न एक सहमति पत्र दिनांक 25.02.2012 की छायाप्रति के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है, वादग्रस्त आराजी के खातेदार स्व. श्री श्यामसुन्दर के वारिसान अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 ने उनके पिता स्व. श्री श्यामसुन्दर भातरा द्वारा की गई वसीयत दिनांक 29.03.2008 से वसीयत की गई सम्पत्ति से किसी प्रकार का कोई एतराज नही होना एवं वसीयत सम्पत्ति में कोई हक व अधिकार नही होना अंकित किया है तो फिर ऐसी स्थिति में जब वादग्रस्त आराजी स्व. श्यामसुन्दर भातरा की स्वअर्जित भूमि है एवं स्व. श्यामसुन्दर भातरा के वारिसान द्वारा अपने सहमति पत्र दिनांक 25.02.2012 द्वारा उक्त वसीयत दिनांक 29.03.2008 को सही मान लिया गया है तो अब उक्त वसीयत के आधार पर तहसीलदार जयपुर द्वारा की गई नामान्तरकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनन अधिकार अपीलान्ट को नही है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई भी साक्ष्य, सबूत दस्तावेजात इत्यादि भी प्रस्तुत नही किया गया है जिससे स्व. श्यामसुन्दर भातरा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारिका प्रसाद शर्मा के पक्ष में की गई उक्त वसीयत दिनांक 29.03.2008 को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध या शून्य घोषित किया गया हो जिससे स्पष्ट हो जाता है कि उक्त वसीयत दिनांक 29.03.2008 वर्तमान में प्रभावी एवं प्रचलन में है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2019 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.10.2019 को यथावत रखा जाता है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।